संख्या-27/2021/1411/86-2021-03(सा0)/2021

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ0प्र0 शासन।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 02 नवम्बर, 2021

विषय-उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के प्राविधानों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-629/एम-228-खनन नीति (vi) दिनांक 29.10.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 को अधिक्रमित करते हुए उसके स्थान पर प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के महत्वपूर्ण प्राविधानों से अवगत कराते हुए उन्हे क्रियान्वित कराये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-52क एवं 52ग को उपर्युक्त नियमावली, 2021 के अन्तर्गत समेकित रूप से नियम-52 में परिभाषित किया गया है जो निम्नवत् हैः-

(1) नियम-74 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का भूमिधर अपनी भूमि पर जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा-पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में रू0-2000/-(रूपये दो हजार) मात्र की अप्रतिदेय फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब राजस्व और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से भूमि के स्वामित्व और आवेदित क्षेत्र में जिलाधिकारी, तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में, स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर, खनन अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत कर सकता है।

(3) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा-पत्र के लिये आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

3. उक्त नियम-52 के अन्तर्गत निजी/कृषि भूमि पर जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में उपलब्ध हो, पर तीन माह के लिए दोगुनी रायल्टी पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है। पूर्व में नियम-52क एवं 52ग के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन वर्तमान में उक्त नियम-52 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेंगे।

4. जनमानस को उचित मूल्य पर उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निजी/कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार नियम-52 के अन्तर्गत निजी/कृषि भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये जाने हेतु भू-स्वामी के आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या-1411(1)/86-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**
2. **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।**
3. **समस्त ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।**
4. **गार्ड बुक।**

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।